

No. H-25016/03/2025-Toll (E-252204)
Government of India
Ministry of Road Transport and Highways
(Toll Division)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110001

dated the 06th October, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Amendment in National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008- UPI based payments in lieu of cash for payment of twice the applicable user fee by vehicles without valid and functional FASTag at fee plazas-reg.

Please find enclosed a copy of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2008 (G.S.R. 734 (E) dated 3rd October, 2025) for information and compliance.



(Shantanu Bhattacharjee)

Under Secretary to the Govt. of India

E-mail: bhattacharjee.sha@gov.in

1. DG & RD (SS), M/o RT&H.
2. Chairman, NHAI.
3. MD, NHIDCL.
4. NIC with a request to upload the Gazette Notification bearing G.S.R. 734 (E) dated 3rd October, 2025 on Ministry's website under relevant section.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102025-266618
CG-DL-E-03102025-266618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650]
No. 650]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि.734(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) (तृतीय संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये 15 नवम्बर, 2025 को लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 6 में-

(क) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(3) इन नियमों के अधीन फीस का भुगतान फास्टैग या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य उपकरण के माध्यम से किया जाएगा।

(3क) यदि किसी वाहन का उपयोक्ता, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग, फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तो वह नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन उस श्रेणी के वाहन पर लागू उपयोक्ता फीस का दोगुना भुगतान करेगा:

परन्तु यह कि यदि वाहन का उपयोक्ता, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग के, एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुगतान करने के विकल्प का चयन करता है, तो वह नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन उस श्रेणी के वाहन पर लागू उपयोक्ता फीस का 1.25 गुना भुगतान करेगा।

स्पष्टीकरण:-

यदि नियम 4 के उप-नियम (2) के अनुसार किसी विशेष श्रेणी के वाहन के लिए उपयोक्ता फीस एक सौ रुपये है और यदि वह वाहन, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग के, फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तो उस वाहन का उपयोक्ता, उपयोक्ता फीस का दो गुना (अर्थात् दो सौ रुपये नकद) का भुगतान करेगा और यदि उस वाहन का उपयोक्ता एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुगतान करने के विकल्प का चयन करता है, तो वह 1.25 गुना (अर्थात् केवल एक सौ पच्चीस रुपये) का भुगतान करेगा।

(3ख) उप-नियम (3क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग वाले वाहन का उपयोक्ता, जिसके लिंक किए गए खाते में पर्याप्त राशि है, फीस प्लाजा पार करते समय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसंरचना की खराबी के कारण फास्टैग के माध्यम से उपयोक्ता फीस का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उस वाहन उपयोक्ता को बिना किसी उपयोक्ता फीस के फीस प्लाजा पार करने की अनुमति होगी और उस लेनदेन के लिए शून्य-लेनदेन रसीद जारी की जाएगी।";

(ख) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) केन्द्रीय सरकार या निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, यथास्थिति, उप-नियम (3क) और नियम 10 के अधीन फीस प्राप्त करते समय, वाहन के उपयोक्ता को एक रसीद जारी करेगा, जिसमें फीस की प्राप्ति की तारीख और समय, कुल प्राप्त राशि और उस वाहन की श्रेणी का विनिर्दिष्ट होगा जिसके लिए फीस प्राप्त किया गया है।"

[फा. सं. एच-25016/03/2025-टोल/ई-252204]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838 (अ), दिनांक 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 437 (अ), दिनांक 1 जुलाई 2025 द्वारा अंतिम संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2025

G.S.R. 734(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely: —

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Third Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the 15th day of November, 2025.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 6—

(a) for sub-rule (3), the following rules shall be substituted, namely: —

“(3) The fee under these rules shall be paid through FASTag or any other device notified by the Central Government.

(3A) If the user of a vehicle enters a fee plaza without a FASTag or a valid, functional FASTag, as the case may be, he shall pay two times of the user fee applicable to that category of vehicle under sub-rule (2) of rule 4:

Provided that if the user of the vehicle, without a FASTag or a valid, functional FASTag, as the case may be, opts to pay fee through the Unified Payment Interface (UPI), he shall pay 1.25 times of the user fee applicable to that category of vehicle under sub-rule (2) of rule 4.

Illustration:

If the user fee for a particular class of vehicle as per sub-rule (2) of rule 4 is rupees hundred and if that vehicle enters a fee plaza without a FASTag or a valid, functional FASTag, as the case may be, the user of that vehicle shall pay two times of the user fee (i.e. rupees two hundred in cash) and in case, if the user of that vehicle opts to pay fee through Unified Payment Interface (UPI), he shall pay 1.25 times (i.e. rupees one hundred and twenty five only).

(3B) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3A), if the user of a vehicle with a valid, functional FASTag having sufficient balance in the linked account while crossing a fee plaza could not pay the user fee through FASTag owing to malfunctioning of the electronic toll collection infrastructure, the vehicle user shall be permitted to cross the fee plaza without payment of any user fee and a zero-transaction receipt shall be issued for that transaction.”;

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(5) The Central Government or the executing authority or the Concessionaire, as the case may be, receiving fee under sub-rule (3A) and rule 10 shall issue a receipt, to the user of vehicle, specifying therein the date and time of receipt of fee, total amount received and the class of vehicle for which the fee has been received.”.

[F. No. H-25016/03/2025-Toll/E-252204]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 838 (E) dated the 5th December, 2008 and was lastly amended vide notification number G.S.R. 437 (E) dated the 1st July, 2025.